ऑन लाईन नं.GCMS2023/105

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 50/2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकाारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री जोनी पुत्र श्री सतपाल —खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक—
मै0 सतपाल फेनीवाला, इन्द्रा कॉलोनी, गली नं.07, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांक : 17.05.2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः—एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः— आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री कंवरपाल सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.02.2023 को समय दोपहर बाद 4.15 बजे **मैसर्स सतपाल फेनीवाला, इन्द्रा कॉलोनी, गली नं.07, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर** पहुंचे। मौके पर विक्रेता व मालिक **श्री जोनी पुत्र श्री सतपाल** को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे खाद्य पदार्थ **RUCO सोयाबीन ऑयल** के बारे में जानकारी चाही, इस पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक ने स्वयं को दुकान का खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया तथा दुकान में रखे एक टीन में लगभग 10 लीटर खाद्य पदार्थ **RUCO सोयाबीन ऑयल** नमकीन तैयार करने के उपरान्त बेचान वास्ते होना बताया। **RUCO सोयाबीन ऑयल** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते खाद्य पदार्थ **RUCO सोयाबीन ऑयल** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **श्री जोनी पुत्र श्री सतपाल** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक **श्री जोनी पुत्र श्री सतपाल** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **RUCO सोयाबीन ऑयल** 1.6 लीटर को विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ **RUCO सोयाबीन ऑयल** का नगद भुगतान 240/— रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के भी हस्ताक्षर है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

ऑन लाईन नं.GCMS2023/105

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **RUCO सोयाबीन ऑयल** 1.6 लीटर को बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–1642** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1642** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री जोनी पुत्र श्री सतपाल** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है। दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक –L.S.140/Act/2023/140 Dated 24-02-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1642 Sub-Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री जोनी पुत्र श्री सतपाल** मैसर्स **मैसर्स सतपाल फेनीवाला, इन्द्रा कॉलोनी, गली नं.07, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर के **RUCO सोयाबीन ऑयल** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 04.05.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है किः–

1. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 1 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। आवेदक साक्ष्य से प्रमाणिक करें कि उसके द्वारा अंकित कथन सत्य व सही है।
2. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 2 के वाक्यांत आशिंक रूप से स्वीकार है। एफ एस ओ द्वारा फार्म संख्या 5ए के अनुसार मिन जवाबदाता की निर्माण इकाई का निरीक्षण

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

ऑन लाईन नं.GCMS2023/105

दिनांक 13.02.2023 को किया गया था जबकि प्रस्तुत आवेदन की उक्त मद में विक्रेता की दुकान से नमूनीकरण का कार्य किया जाना बताया जाकर परिवाद/आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कि निराधार , मिथ्या व गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण वाद सव्यय निरस्तणीय है। मिन जबावदाता की उक्त पता पर कोई निर्माण इकाई है यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना संख्या के–1642 लेते समय फार्म नं. 5ए में **''उक्त निर्माण इकाई पर नमकीन बनाने के उपरान्त शेष रहे यूजड कुकिंक ऑयल रिफाइंड सोयाबीन टीन के अन्दर 10 लीटर रखा हुआ था। एफएसएसए आई एक्ट 2006 के** नियमानुसार **वास्ते नमूना जॉच 1.6 लीटर यूजड कुकिंग आयॅल रिफाइंड सोयाबीन कय कर संग्रहित कर लिया।**''लिखा गया है फार्म संख्या 5ए के अनुसार उक्त नमूनीकरण का कार्य मिन जबावदाता का निर्माण इकाई से किया गया है न कि दुकान से। फार्म संख्या 5ए के अनुसार उक्त नमूना नमकीन तैयार करने उपरान्त बेचान वास्ते बताया जिनमें शंका होने पर विक्रेता से आरयूसीओ सोयाबीन ऑयल नमूना जॉच वास्तें लेने की इच्छा व्यक्त की। जो कि तथ्य निराधार व झूठे मनगंढत होने के कारण अस्वीकार है। मिन जवाबदाता का नमकीन बनाकर रेहडी पर विकय करने का व्यवसाय है। मिन जवाबदाता द्वारा किसी भी प्रकार का कुकिंग ऑयल आमजन को विकय नहीं किया जाता है। उक्त कथन असत्य व निराधार है।

3. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 3 के कथन अस्वीकार है। उक्त मद में किसी भी स्वतंत्र गवाह का होना नहीं बताया गया है। नमूनीकरण के उक्त कार्य में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं होने के आधार पर भी उक्त परिवाद निरस्तणीय है।
4. यह कि आवेदन पत्र की मद स. 04 के कथन अस्वीकार हे। उक्त मदानुसार निरीक्षण कर को विकय हेतु उपलब्ध आरयूसीओ सोयाबीन ऑयल 1.6 लीटर विक्रेता से खरीद कर लिया। मिन जवाबदाता द्वारा उक्त आयॅल अपने नमकीन के निर्माण हेतु उपयोग में लिया गया था। उक्त ऑयल किसी भी प्रकार से आमजन के विकय हेतु नहीं रखा गया था। फार्म संख्या 5ए के तथ्यों से भी ज्ञात हो जाता है कि मिन जवाबदाता द्वारा उक्त ऑयल नमकीन बनाने के उपरान्त टीन में रखा हुआ है जिसका उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता था, साथ ही कुकिंग आयॅल के गर्म करने व उसमें नमकीन बनाने हेतु उपयोग में लिये गये अन्य खाद्य पदार्थ जैसे मैदा, नमक, घी आदि का मिश्रण सम्मलित होने के कारण उक्त आयॅल की प्रकृति बदल जाती है, साथ ही गर्म करने के उपरान्त भी खाद्य आयॅल के घटक व प्रकृति में बदलाव आ जाता है। इस कारण से भी आयॅल की प्रकृति ताजा आयॅल से भिन्न हो जाती है।
5. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 5 पूर्णतया झूठे,गलत, मिथ्या एवं काल्पनिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण अस्वीकार है। उक्त मदनुसार लिये गये सैम्पल को किस आधान/बर्तन में लिया गया एवं उसे किस प्रकार से एकरूपता प्रदान की गई आदि तथ्यों को सनहीं बताया गया है जिससे यह साबित होता है कि नमूनीकरण का उक्त कार्य विधिनुसार नहीं किया गया है। उक्त के आधार पर वाद पोषणीय नहीं होने के कारण वाद सव्यय निरस्तणीय है।
6. यह कि आवेदन पत्र की मद स0 6 के कथन स्वीकार है।
7. यह कि आवेदन पत्र की मद स0 7 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।
8. यह कि आवेदन पत्र की मद स0 8 आंशिक रूप से स्वीकार है।
9. यह कि आवेदन पत्र की मद स0 9 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

10. यह कि आवेदन पत्र की मद स0 10 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।
11. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 11 के तथ्य निराधार होने के कारण अस्वीकार हे। मिन जवाबदाता द्वारा किसी भी प्रकार से विधि का उल्लंघन नही किया गया है। प्रस्तुत वाद विधि विरूद्व तथ्यो पर आवेदक द्वारा श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया है जो कि पोषणीय नही होने के कारण सव्यय निरस्तणीय है।

अतिरिक्त कथनः–

1. यह कि उक्त वाद पत्र के साथ आवेदक द्वारा सत्यापन व अपना शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। अतः उक्त वाद अपने आप में परिपूर्ण विधिक औपचारिकताओ के अभाव में निरस्तणीय है।
2. यह कि उक्त वाद में आवेदक द्वारा नमूनीकरण के दौरान किस आधान में नमूना लिया गया एवं नमूने को एकरूपता प्रदान करने के कोई तथ्य अंकित नही किये गये है जिससे यह साबित हो कि आवेदक द्वारा नमूनीकरण के समय लिये गये सैम्पल को एकरूप किया गया जो कि विधिनुसार आवश्यक था। जिससे यह साबित होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना स0 के–1642 लेते समय एफएसएसए के नियमो की पालना नही की गई हे। न्याय दृष्टान्त एफएसी 207, 2014 (1) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में एकरूपता सही प्रकार से नही करने पर वाद निरस्त किया गया है।
3. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफएसओ द्वारा उक्त नमूने को जन विश्लेषक के पास कब जमा करवाया। इस बारे में कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये है जिससे यह साबित हो सकें कि उक्त नमूना जॉच हेतु जन विश्लेषक को भेजा गया हो।4
4. यह कि खादय सुरक्षा अधिकारी एफएसओ व जन विश्लेषक को गवाही के उद्देश्य से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने व जिरह हेतु उपस्थित होने के आदेश फरमायें जावें जो कि न्यायहित के लिए आवश्यक है।
5. यह कि प्रस्तुत परिवाद गलत तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्व प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना की जॉच विधिनुसार नहीं की गई है।
6. यह कि मन जवाबदाता द्वारा उक्त आयॅल बनाने के उपरान्त टीन में रखा हुआ है जिसका उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता था, साथ ही कुकिंग आयॅल के गर्म करने व उसमें नमकीन बनाने हेतु उपयोगय में लिये गये अन्य खाद्य पदार्थ जैसे मैदा, नमक, घी आदि का मिश्रण सम्मलित होने के कारण उक्त आयॅल की प्रकृति बदल जाती है। साथ ही गर्म करने के उपरान्त भी खाद्य आयॅल के घटक व प्रकृति में बदलाव आ जाता है। इस कारण से भी आयॅल की प्रकृति ताजा आयॅल से भिन्न हो जाती है।

यह कि अन्य कथन बरवक्त बहस अर्ज किये जावेगे।

अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त वाद आवेदक द्वारा विधि विरूद्व तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है एवं एफएसएसए के तहत खाद्य नमूना के–1642 में किसी भी प्रकार से कोई अवेहलना नही की गई है जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ तयमानको के अनुसार खादय पदार्थ तयमानको के अनुसार सही पाया गया है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि एफ एस ओ जीतसिंह यादव द्वारा फार्म संख्या 5ए के अनुसार मिन जवाबदाता की फैक्ट्री का निरीक्षण दिनांक 13.02.2023 को किया गया था जबकि प्रस्तुत आवेदन की उक्त मद में विक्रेता की दुकान से नमूनीकरण का कार्य किया जाना बताया जाकर परिवाद/आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कि निराधार , मिथ्या व गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण वाद सव्यय निरस्तणीय है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना संख्या के–1642 लेते समय फार्म नं. 5ए में ''**उक्त निर्माण इकाई पर नमकीन बनाने के उपरान्त शेष रहे यूजड कुकिंक ऑयल रिफाइंड सोयाबीन टीन के अन्दर 10 लीटर रखा हुआ था। एफएसएसए आई एक्ट 2006 के नियमानुसार वास्ते नमूना जॉच 1.6 लीटर यूजड कुकिंग आयॅल रिफाइंड सोयाबीन कय कर संग्रहित कर लिया।**''लिखा गया है। फार्म संख्या 5ए के अनुसार उक्त नमूनीकरण का कार्य मिन जबावदाता का निर्माण इकाई से किया गया है न कि दुकान से। फार्म संख्या 5ए के अनुसार उक्त नमूना नमकीन तैयार करने उपरान्त बेचान वास्ते बताया जिनमें शंका होने पर विक्रेता से आरयूसीओ सोयाबीन ऑयल नमूना जॉच वास्तें लेने की इच्छा व्यक्त की। जो कि तथ्य निराधार व झूठे मनगंढत होने के कारण अस्वीकार है। मिन जवाबदाता का नमकीन बनाकर रेहडी पर विक्रय करने का व्यवसाय है। मिन जवाबदाता द्वारा किसी भी प्रकार का कुकिंग ऑयल आमजन को विक्रय नहीं किया जाता है। मिन जवाबदाता द्वारा उक्त आयॅल अपने नमकीन के निर्माण हेतु उपयोग में लिया गया था। उक्त ऑयल किसी भी प्रकार से आमजन के विक्रय हेतु नहीं रखा गया था। फार्म संख्या 5ए के तथ्यों से भी ज्ञात हो जाता है कि मिन जवाबदाता द्वारा उक्त ऑयल नमकीन बनाने के उपरान्त टीन में रखा हुआ है जिसका उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता था, साथ ही कुकिंग आयॅल के गर्म करने व उसमें नमकीन बनाने हेतु उपयोग में लिये गये अन्य खाद्य पदार्थ जैसे मैदा, नमक, घी आदि का मिश्रण सम्मलित होने के कारण उक्त आयॅल की प्रकृति बदल जाती है, साथ ही गर्म करने के उपरान्त भी खाद्य आयॅल के घटक व प्रकृति में बदलाव आ जाता है। इस कारण से भी आयॅल की प्रकृति ताजा आयॅल से भिन्न हो जाती है। उक्त तथ्य विरोधाभासी होने व भिन्न भिन्न होने के आधार पर भी उक्त परिवाद सव्यय निरस्तणीय है। अतः वाद सव्यय निरस्त फरमायें जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया का **RUCO सोयाबीन ऑयल** सैम्पल के–1642 जांच रिपोर्ट क्रमांक –L.S.140/Act/2023/140 Dated 24-02-2023 द्वारा (Sub-standard Food) होना पाया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन कि निरीक्षण दिनांक 09.12.2022 को विक्रेता की दुकान से नमूनीकरण का कार्य किया जाना बताया जाकर परिवाद/आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कि निराधार , मिथ्या व गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण वाद सव्यय निरस्तणीय है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना संख्या के–1642 लेते समय फार्म नं. 5ए में ''**उक्त निर्माण इकाई पर नमकीन बनाने के उपरान्त शेष रहे यूजड कुकिंक ऑयल रिफाइंड सोयाबीन टीन के अन्दर 10 लीटर रखा हुआ था। एफएसएसए आई एक्ट 2006 के नियमानुसार वास्ते नमूना जॉच 1.6 लीटर यूजड कुकिंग आयॅल रिफाइंड सोयाबीन कय कर संग्रहित कर लिया।**''लिखा गया है। फार्म संख्या 5ए के अनुसार उक्त नमूनीकरण का कार्य मिन जबावदाता का निर्माण इकाई से किया गया है न कि दुकान से। फार्म संख्या 5ए के अनुसार उक्त नमूना नमकीन तैयार करने उपरान्त बेचान वास्ते बताया जिनमें शंका होने पर विक्रेता से आरयूसीओ

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

सोयाबीन ऑयल नमूना जाँच वास्ते लेने की इच्छा व्यक्त की। जो कि तथ्य निराधार व झूठे मनगढंत होने के कारण अस्वीकार है। मिन जवाबदाता का नमकीन बनाकर रेहडी पर विक्रय करने का व्यवसाय है। मिन जवाबदाता द्वारा किसी भी प्रकार का कुकिंग ऑयल आमजन को विक्रय नही किया जाता है। मिन जवाबदाता द्वारा उक्त आयॅल अपने नमकीन के निर्माण हेतु उपयोग मे लिया गया था। अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन निराधार है क्योंकि फार्म नम्बर 5ए एवं फर्द रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि उक्त निर्माण ईकाई पर नमकीन बनाने के उपरान्त टीन के अन्दर रखे 10 लीटर रिफाईड सोयाबीन **कुकिंग आयॅल** का सैम्पल लिया गया है। उक्त कुकिंग आयॅल रिफाईड सोयाबीन पुनः उपयोग होने पर सेहत के लिए हानिकारक है जो स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक –L.S.140/Act/2023/140 Dated 24-02-2023 के अुनसार प्रमाणित है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली एवं Food Analyst की रिपोर्ट दिनांक 24-02-2023 का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। अभियुक्त **श्री जोनी पुत्र श्री सतपाल** मैसर्स **मैसर्स सतपाल फेनीवाला, इन्द्रा कॉलोनी, गली नं.07, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर**, खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक –पर (Sub-standard Food) के तहत **RUCO सोयाबीन ऑयल** का विक्रय करने पर धारा 26(2)(ii)/51 के तहत 50,000/–रूपये (अखरे रूपये पंचास हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **RUCO सोयाबीन ऑयल** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **RUCO सोयाबीन ऑयल** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)